

पत्र-सं०-वि०व०संग्रह / 2019-20 /

343

/वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 08 जुलाई, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषय:- एम०पी०आर०-1, 2 एवं 3 के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे बकाया वसूली के आँकड़ों एवं व्यास सेन्ट्रल पर आँकड़ों को शुद्ध व एक रूप किये जाने के सम्बन्ध में प्रदान किया गया समय दिनांक 16.06.2019 तक को एक माह और बढ़ाये जाने तथा कृत कार्यवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-218 दिनांक 6 जून 2019 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह मई 2019 के एम०पी०आर०-(आच्छादित बकाया) व व्यास पोर्टल पर प्रदर्शित बकाया के मध्य रू० 2159.27 करोड़ का अन्तर प्रदर्शित हो रहा था। उक्त दोनों माध्यमों से सूचित हो रहे बकाया के आँकड़ों में अन्तर अभी भी बना हुआ है।

आच्छादित बकाया से सम्बन्धित आँकड़ों को शुद्ध करने व आफलाईन बकाया (पुराने वसूली प्रमाण पत्र) जो पोर्टल पर अभी तक फीड/अपलोड नहीं की गयी हैं, को पोर्टल पर फीड/अपलोड कराने हेतु व आँकड़ों को शुद्ध करने हेतु दिनांक 15.06.2019 तक का समय पूर्व में दिया गया था जिसकी दैनिक समीक्षा मुख्यालय द्वारा की जा रही है, परन्तु उक्त दोनों बिन्दुओं पर प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

उक्त क्रम में आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि व्यास सेन्ट्रल पोर्टल पर व एम०पी०आर० में आ रहे अन्तर को समाप्त कराने के लिए एकमाह का समय और प्रदान किया जाता है। यह भी निर्देश किया जाता है कि कृत कार्यवाई की प्रगति-रिपोर्ट खण्डवार/अधिकारीवार मुख्यालय को प्रत्येक सप्ताह प्रेषित किया जाय। उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

08/7/19

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।